

फर्द अहकाम

बनाम विद्युत शक्ति

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या: 06/2024 (9) 40

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19.3.26	वकुलाये फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 27.3.26 को पेश हो
	27/3/26	पत्रावली पेश प्रार्थिका और से कोई उप. नही / न्यायालय समय के दौरान वार-2 आवाज लगवाने के बाद भी प्रार्थिका और से कोई उप. नही होने के कारण प्रार्थना पत्र अदम एजरी एवं अदम फेरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फिलाल सुमाए होकर दृज नम्बर से कम है बाद दाखिल दस्तूर है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला-कोटपूतली बहरोड़)